NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATIONLIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office Dehradun

पत्रांक संख्या: **UKO/PMGSY/DUGADDA/542** दिनांक: 08.07.2025

सेवा में,

वनाधिकारी/ उप निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय: जनपद– पौड़ी गढ़वाल में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नौड़खाल माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में । (**Online Proposal No FP/UK/ROAD/**11142/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांकरू 15.05.2025 को आर०ई०सी० मीटिंग गठित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में पत्रांक संख्या: 8 बी/यु०सी०पी०/06/201/2019/एफ०सी० दिनांक: 03.06.2025 के द्वारा राज्य सरकार से सूचना मांगी गयी है ।

महोदय से निवेदन है कि उक्त सूचना के सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

पी०आई०यू० दुगड्डा

फोन : 01352621669, फैक्स : 0135 2620933,
e mail: director.rajaji@gmail.com

RAJAJI TIGER RESERVE
राजाजी टाईगर रिज़र्व

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड

5/1, अन्सारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांकः 200 /12-1 देहरादून, 28.08 ~~सितम्बर~~, 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलानी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **आरईसी की बैठक दिनांक–15.05.2025 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11142/2015)**

संदर्भ– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ0सी0, दिनांक–03.06.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र में भारत सरकार द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं–

State Government is requested to furnish the information regarding the decision taken by the REC which states that:-

"As the Stage-I approval was granted on 29.04.2020 and the working permission was valid till 26-08-2023, so far the gap period the State Government shall give the undertaking that no work has been executed after the expiry of working permission. Further, the Working permission shall be accorded for another one year for carrying out the preliminary works after the submission of the above undertaking."

उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी NPCC, पी0आई0यू0, दुगड्डा के कार्यालय पत्रांक–UKO/PMGSY/DUGADDA/560, दिनांक–19.05.2025 के क्रम में कार्य करने की अनुमति दिनांक–26.08.2023 के बाद मोटर मार्ग पर कोई कार्य न करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लिखा गया था। अतः वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज के कार्यालय पत्रांक–110/29, दिनांक–26.08.2025 से अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग पर मरम्मत एवं मलवा सफाई आदि कार्य अगस्त 2023 के बाद किये गये हैं, किन्तु कोई नवीन कार्य नहीं किया गया है। अतः वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज की आख्या के अनुसार वचनबद्धता प्रमाण पत्र **(प्रति संलग्न)** संलग्न कर, अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(संलग्न–उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(महातिम यादव)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक–200/12–1 **तददिनांकित।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. वन्यजीव प्रतिपालक, चीला, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

(महातिम यादव)
उप निदेशक/उप वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11142/2015** में सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 29.04.2020 को जारी की गयी थी, जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था को दिनांक–26.08.2023 तक कार्य करने की अनुमति दी गयी थी। प्रयोक्ता एजेंसी NPCC, पी0आई0यू0, दुगड्डा के कार्यालय पत्रांक–UKO/PMGSY/DUGADDA/567, दिनांक–26.08.2025 एवं वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज के कार्यालय पत्रांक–110/29, दिनांक–26.08.2025 से अवगत कराया गया है कि माह जुलाई–अगस्त में भारी वर्षा के कारण मार्ग बाधित होने से जनसुरक्षा की दृष्टि से मरम्मत और मलवा सफाई का कार्य किया गया, किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक–26.08.2023 के बाद इस मार्ग पर कोई नया कार्य नहीं किया गया है।

Mahat

(महातिम यादव)
उप निदेशक/उप वन सरंक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी,
गोहरी रेंज,
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून।

PIU
NPCC
PMGSY, DUGADDA
PAURI GARHWAL (U.K)

कार्यालय,वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज

राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.

Email :- gohari.range1986@gmail.com

पत्रांक 110/29 दिनांक 26.08.2025

सेवा में

उपनिदेशक/उप वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिजर्व
देहरादून।

विषयः आरईसी की बैठक दिनांक 15.05.2025 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ– उपनिदेशक महोदय का पत्रांक 155/12–1 दिनांक 19.08.2025।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक **100/29 दिनांक 22.08.2025** द्वारा प्रयोक्ता विभाग एवं संबंधित वन आरक्षियों से आख्या मांगी गयी थी। प्रयोक्ता विभाग द्वारा अपने पत्रांक UKO/PMGSY/DUGADDA/567 दिनांक 26.08.2025 से अवगत कराया है कि माह जुलाई एवं अगस्त में भारी वर्षा के कारण उनके द्वारा जो उक्त मार्ग में कार्य किये गये थे, वें कतिपय क्षेत्रो में क्षतिग्रस्त हो गये थें, जिस कारण जनमानस की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत उनके द्वारा उक्त मार्ग पर मरम्मत एवं मलवा सफाई आदि कार्य अगस्त 2023 के बाद भी किये गये, किंतु कोई नवीन कार्य नही किया गया। जिसकी पुष्टि संबंधित तत्कालीन वन आरक्षियों द्वारा दिनांक 26.08.2025 को प्रेषित अपनी आख्या द्वारा भी की गयी है।

उक्तानुसार सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

Ryush

वन क्षेत्राधिकारी
गोहरी रेंज
राजाजी टाईगर रिजर्व

एन पी सी सी NPCC
NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATIONLIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office Dehradun

पत्रांक संख्या: UKO/PMGSY/DUGADDA/567 दिनांक: 26.08.2025

सेवा में,

वन–क्षेत्राधिकारी
राजाजी टाइगर रिजर्व
गोहरी रेंज, उत्तराखण्ड

विषय: जनपद– पौड़ी गढ़वाल में पीएमजीएसवाई **के अंतर्गत नौड़खाल माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/11142/2015)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में आपके द्वारा संदर्भित पत्रांक के माध्यम से दिनांक: 26.08.2023 के बाद की कार्य की सूचना मांगी गयी थी। अवगत कराना है कि मानसून अवधि (जून 2023 से अगस्त 2023) में उक्त मोटर मार्ग पर कई बिन्दुओ पर अत्यधिक भूस्खलन तथा वॉशआउट की स्थिति हो गयी थी जिस कारण मार्ग का आवागमन अवरुद्ध हो गया था। मार्ग पर कई ग्राम स्थित है जिनका आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो गया था, जिस कारण ग्रामवासियो को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य उपयोगी वस्तुओ को सुचारु रूप से एकत्र करने में परेशानी हो रही थी।

इस समस्या को देखते हुए ग्रामवासियो द्वारा कई बार शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गयी जिस कारण जनसुविधा तथा सार्वजानिक हित को देखते हुए मार्ग को सुचारु रूप से आवागमन हेतु खोला गया। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर किसी भी प्रकार का नवीन कार्य नहीं कराया गया है।

धन्यवाद,

भवदीय,

पी०आई०यू० दुगड्डा

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/201/2019/एफ.सी. **दिनांकः As per e-sign**

Addendum

क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8 बी/यू.सी.पी./06/201/2019/एफ.सी./06 दिनांक 29.04.2020 द्वारा Online Proposal no. FP/UK/ROAD/11142/2015 पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

तत्पश्चात् राज्य सरकार के पत्र सं॰ **2597/12-1** देहारादून**,** दिनांक 28.04.2025 द्वारा प्रस्ताव में **CA area 17.642** हे**.** में से **5.13** हे**.** सिविल सोयम भूमि के बदलाव किये जाने तथा विधिवत स्वीकृति से पूर्व एक वर्ष का अतिरिक्त कार्य आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। जिसके उपरांत प्रकरण को आरईसी की बैठक दिनांक 15.05.2025 में रखा गया था। आरईसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की **गई शर्त संख्या** 3 (**क**) **में CA area को संशोधित** कर तदिनांक से "*वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर **17.642** हे**0** सिविल भूमि खसरा नं**0 714,735,737,756,** ग्राम माला एवं खसरा नं॰ **1140, 1141** ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें*""के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाए**:**

*"वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर **17.642** हे**0 सिविल भूमि खसरा नं**0 1359 **ग्राम कसान पट्टी उदयपुर यमकेशवर तहसील (5.13 हे**0) **एवं खसरा नं**0 1140, 1141 **ग्राम कोटा** (12.512 **हे**0) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें"*

सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र दिनांक 29.04.2020 की शेष सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

Also, State Government is requested to furnish the information regarding the decision taken by the REC which states that:

"As the Stage-I approval was granted on 29.04.2020 and the working permission was valid till 26.08.2023, so for the gap period the State Government shall give the undertaking that no work has been executed after the expiry of working permission. Further, the Working permission shall be accorded for another one year for carrying out the preliminary works after the submission of the above undertaking."

राज्य सरकार संशोधित अनुपालना इस कार्यालय में जमा करवाने का कष्ट करें। उसके उपरांत ही आगे कि कार्यवाही की जा सकेगी।

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 03-06-2025
12:18:16

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

(i) अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(ii) प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।